

अरुण कुमार पाण्डा

सचिव

Arun Kumar Panda
Secretary



MSME

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 011

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

UDYOG BHAWAN, RAFI MARG, NEW DELHI-110 011

13th November, 2018

D.O. No. 21(8)/2018-MA

Dear Secretary,

As you must be aware, Hon'ble PM has launched a far reaching Support and Outreach initiative for the benefit of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). One of the key announcements made in this regard is the amendment to the Public Procurement Policy (PPP). The changes effected therein are expected to improve the market accessibility and enhance competitiveness of the MSEs. They will also help in women empowerment.

2. The amendments so effected have been duly notified vide Government of India Gazette Notification S.O. 5670(E) dated 9th November, 2018. A copy is enclosed herewith for ready reference.

3. The amendments made in the PPP are as follows:-

- Increase in percentage of procurement of goods and services by Government Departments/CPSEs from MSEs from the present at least 20% to at least 25% of their total procurement; and
- Provide a minimum 3% reservation for women owned MSEs within the above mentioned 25% reservation.

4. It may please be noted that the amended policy has come into force with immediate effect i.e. from 9th November, 2018 (date of the publication of the notification).

5. I shall be grateful if all the CPSEs under your control are advised to implement the above changes made to the Public Procurement Policy and to provide information on procurements made from MSEs owned by women. MSME SAMBANDH Portal has been updated accordingly for the benefit of the CPSEs.

6. Top Priority may kindly be accorded to this matter.

Regards,

Yours sincerely,

(Arun Kumar Panda)

To

Secretaries (All Ministries & Departments)

Copy to: Chief Secretaries, All States / UTs



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4455]
No. 4455]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 2018/कार्तिक 18, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2018/KARTIKA 18, 1940

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2018

का.आ. 5670(अ).—केंद्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) द्वारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति उन्नीत, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

1. (i) यह आदेश सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति संशोधन आदेश, 2018 कहा जाएगा।
(ii) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. पूरे सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति आदेश, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात उन आदेश कहा गया है) में जहां कहीं भी आंकड़े और शब्द “20 प्रतिशत” है उसे “25 प्रतिशत” के आंकड़े और शब्द “प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 के पश्चात निम्नलिखित पैरा को जोड़ा जाएगा :—
“4 क. महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए विशेष प्रावधान। सूक्ष्म और लघु उद्यमों में कुल वार्षिक खरीद में से 25 प्रतिशत के लक्ष्य के अंदर महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम से खरीद के लिए 3 प्रतिशत का लक्ष्य निर्दिष्ट किया जाएगा।

[फा. सं. 21(22)/2018-ए.मा.]

राम मोहन मिश्रा, अपर सचिव और विकास आयुक्त

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
ORDER

New Delhi, the 9th November, 2018

S.O. 5670(E).—In exercise of powers conferred by section 11 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby makes the following amendments to the Public Procurement Policy for the Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 namely :—

1. (i) This Order may be called the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Amendment Order, 2018.
(ii) This shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. Throughout the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012, (hereinafter referred to as the said Order), for the figures and word “20 per cent”, wherever they occur, the figures and word “25 per cent” shall be substituted.
3. After paragraph 4 of the said Order, the following paragraph shall be inserted, namely:-
“4A. Special provision for Micro and Small Enterprise owned by women. Out of the total annual procurement from Micro and Small Enterprises, 3 per cent from within the 25 per cent target shall be earmarked for procurement from Micro and Small Enterprises owned by women.”

[F. No. 21(22)-2018-MA]

RAM MOHAN MISHRA, Addl. Secy. & Development Commissioner



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2012/चैत्र 6, 1934

No. 503]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2012/CHAITRA 6, 1934

लि.
छान्दोली

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2012

का.आ. 581(अ).—क्योंकि, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने उत्पादों या सेवाओं के वार्षिक मूल्य का कम से कम 20 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपाप्त करेंगे;

और, प्रतिस्पर्धा के साथ सिद्धांतों, साधार उपापन व्यवहारों पर आधारित तथा किसी प्रणाली के अनुसरण में माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए, आदेशों के निष्पादन पर आधारित सार्वजनिक उपापन नीति, स्पष्ट, साम्यपूर्ण, पारदर्शी प्रतियोगी और मूल्य प्रभावी होगी; और

और सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति मजबूत अधिप्राप्ति व्यवहारों और आदेशों का पालन करते हुए आपूर्तिकर्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बरकरार रखने के केंद्रीय सिद्धांतों और एक निष्पक्ष, समान, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत सक्षम व्यवस्था के अनुरूप उत्पादों/सेवाओं की आपूर्ति के आदेशों के क्रियान्वयन पर आधारित है;

और चूंकि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन और विकास सुकर बनाने करने के लिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार समय-समय पर यथास्थिति, आदेश द्वारा अपने मंत्रालयों या विभागों, पब्लिक सेक्टर अधिमानी, या उसके सहायता प्राप्त संस्थानों और यथास्थिति, के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित और प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं के उपापन के संबंध में अधिमानी नीतियों को अधिसूचित कर सकेगी।

अतः, अब, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अपने मंत्रालयों या विभागों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित और प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं के उपापन के संबंध में सार्वजनिक उपापन नीति (जिसे इसमें इसके पश्चात कहा गया है) को अधिसूचित करती है।

2. संक्षिप्त नाम और आरंभ

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक उपापन नीति आदेश, 2012' है।
 (2) ये 1 अप्रैल 2012 से लागू होगी।

3. सूक्ष्म और लघु उद्यम से आज्ञापन उपापन - (1) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम को वित्तीय वर्ष 2012-13 और उसके पश्चात से तीन वर्षों की अवधि में सूक्ष्म और लघु उद्यम द्वारा उत्पादित या प्रदत्त उत्पादों या सेवाओं की कुल वार्षिक खरीदों के न्यूनतम 20 प्रतिशत का कुल उपापन प्राप्त करने के उद्देश्य से सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपापन का एक वार्षिक लक्ष्य नियत करेगा।

(2) उपापन के वार्षिक लक्ष्य के अंतर्गत बड़े उद्यमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा गठित सूक्ष्म और लघु उद्यम के संघ की उप-संविदाएं भी हैं।

(3) तीन वर्षों की अवधि के पश्चात अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 से न्यूनतम 20 प्रतिशत का कुल उपापन लक्ष्य आज्ञापक होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम, जो वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति करने में असफल रहते हैं, को इस नीति के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की अध्यक्षता में गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष इसके उचित कारण सिद्ध करने होंगे।

4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए विशेष उपबंध- सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वार्षिक उपापन के 20 प्रतिशत लक्ष्य में से, 20 प्रतिशत का एक उप-लक्ष्य (अर्थात् 20 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत) अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों के सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद के लिए चिह्नित होंगे। परंतु, ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा टेंडर की अपेक्षाओं को पूरा करने और एल-1 मूल्य तक पहुंचने में असफल रहने की दशा में अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों से खरीद के लिए चिह्नित 4 प्रतिशत का उप-लक्ष्य अन्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों से पूरा करना होगा।

5. वार्षिक रिपोर्ट में लक्ष्यों की रिपोर्टिंग - (1) सूक्ष्म और लघु उद्यम से सरकारी उपापन के आंकड़े इस नीति के सशक्तीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यम से किए जाने वाले उपापन के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और उसमें की गई उपलब्धि की सूचना अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट में देंगे।

(2) वार्षिक रिपोर्टसूचना सूक्ष्म और लघु उद्यम विभिन्न मंत्रालयों या विभागों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम को प्रदान किया जा रहा समर्थन की बेहतर समझ में सुकर बनाएगा।

6. निविदा में मूल्य कोटेशन - (1) टेंडर में, सहभागी सूक्ष्म और लघु उद्यम जिसने एल1+15 प्रतिशत के मूल्य बैंड के भीतर निविदा मूल्य उद्धत करेंगे उन्हें ऐसी परिस्थिति में जहां एल1 मूल्य सूक्ष्म और लघु उद्यम के अतिरिक्त किसी और से हो, वहां उनके मूल्य को एल1 मूल्य

के स्तर पर लाकर एक भाग की आपूर्ति की अपेक्षाओं की अनुमति भी दी जाएगी और ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यम को कुल निविदा मूल्य के 20 प्रतिशत तक की आपूर्ति की अनुज्ञात होगी।

(2) ऐसे एक से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम के मामले में आपूर्ति को आनुपातिक रूप से बांटा (निविदा की गई मात्रा तक) जाएगा।

7. सूक्ष्म और लघु उद्यम विक्रेताओं का विकास - केंद्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम, विक्रेता विकास कार्यक्रम/क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करते हुए और आवधिक आवश्यकताओं के संबंध में एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के साथ दर अनुबंध करते हुए उपयुक्त विक्रेता विकसित करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

8. वेबसाइट पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपापन के लिए वार्षिक योजना - मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्रय के लिए वार्षिक उपापन योजना भी तैयार करेंगे और उसे अपने शासकीय वेबसाइट पर अपलोड भी करेंगे ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यम उपापन अभिकरणों की अपेक्षाओं के बारे में अग्रिम सूचना प्राप्त कर सकें।

9. सरकारी उपापन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों, की भागीदारी बढ़ाना - सरकारी उपापन में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निम्नलिखित कदम उठाएंगे:

(क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विभागों/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम/क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की जाएंगी।

(ख) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अधिक से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सम्मिलित करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा संघ निर्माण की उसकी योजनाओं के अधीन पहुंच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंग; और

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अपने एकल बिंदु रजिस्ट्रीकरण योजना के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष खिड़की खोलेगा।

10. संव्यवहार लागत में कमी - व्यवसाय चलाने की संव्यवहार लागत में कमी लाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को किसी लागत के बिना निविदा सेट उपलब्ध कराके, अग्रिम धन के भुगतान से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छूट देकर, निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई-उपापन अपनाकर तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करके सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

11. उपापन के लिए विशिष्ट मदों का आरक्षण - विशिष्टतया ग्रामीण क्षेत्रों में, देश में उद्यमों को एक व्यापक फैलाव को समर्थ बनाने के लिए, केंद्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 358 मदों (अनुबंध-ख) का उपापन जारी रखेगा, जो उनसे

विशिष्ट खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों जिसके अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग भी है, के संवर्धन और विकास में मदद मिलेगी, जो देश में समग्र विकास को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

12. पुनर्विलोकन समिति - (1) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक उपापन नीति की मानीटरी और पुनर्विलोकन के लिए सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की अध्यक्षता के अधीन आदेश सं 21(1)/2007-एमए तारीख 21 जून 2010 के द्वारा (उपाबंध) एक समिति गठित होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा समिति की संरचना में की जब और जैसे अपेक्षित हो, पुनर्विलोक / उपारिक्त करेगा।

(2) यह समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, एक अनवरत आधार पर सूक्ष्म और लघु उद्यम से अनन्य खरीद के लिए आरक्षित 358 मदों की सूची पुनर्विलोकन करेगी, मामला-दर-मामला आधार पर 20 प्रतिशत लक्ष्य से छूट के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों अथवा विभागों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अनुरोधों पर विचार करेगी और नीति के अधीन उपलब्धियों की मानीटरी करेगी।

13. शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना - इसके अतिरिक्त, सरकारी उपापन में सूक्ष्म और लघु उद्यम की शिकायतों के प्रतितोष के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में एक 'शिकायत प्रकोष्ठ' गठित किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ में संबंधित विभागों / एजेंसियों के सामने सूक्ष्म और लघु उद्यम द्वारा उठाए गए सरकारी उपापन संबंधी मुद्दे उठाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत सरकारी विभागों / एजेंसियों द्वारा निविदाओं में अनुचित शर्तों को लगाना भी है, जो सूक्ष्म और लघु उद्यम को अलाभप्रदा स्थिति में रखते हैं।

14. रक्षा उपापन के लिए विशेष प्रावधान - (1) रक्षा मंत्रालय के लिए हेतु 20 प्रतिशत के लक्ष्य की गणना में रक्षा शस्त्रीकरण की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए उनके आयात को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रक्षा उपकरणों जैसे शस्त्र प्रणालियां, प्रक्षेपास्त्र, आदि आरक्षण की ऐसी नीति के अधीन नहीं होगी।

(2) नीति के अधीन नियत लक्ष्यों का मानीटरी जहां तक रक्षा सेक्टर का संबंध है, रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं उनके द्वारा स्थापित उपयुक्त प्रक्रियाओं के अनुसरण की जाएगी।

15. कठिनाई का निवारण - उपरोक्त नीति के कार्यान्वयन के दौरान अनुभव की गई किसी कठिनाई के संबंध सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उपयुक्त प्रेस रिलीज के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया जाएगा और जिसे पब्लिक डोमिन में रखा जाएगा।

[फा.सं. 21(1)/2011-एमए]

अमरेन्द्र सिन्हा, अपर सचिव और विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

अनुबंध

सं. 21(1)/2007-एमए

भारत सरकार

सूखम्, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

विकास आयुक्त(सूखम्, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय

ए विंग, 7 वां तल, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110108

तारीख : 21 जून, 2010

आदेश

विषय: सूखम् और लघु उद्यमों (सूखम् और लघु उद्यम) के लिए सार्वजनिक उपापन नीति के अधीन समिति का गठन

सूखम् और लघु उद्यमों (सूखम् और लघु उद्यम) के लिए नई सार्वजनिक उपापन नीति के लम्बित अनुमोदन के अनुसरण में चयनित केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों के संबंध में प्रस्तावित नीति के कुछ उपबंधों के लागू करने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति की अध्यक्षता सचिव, सूखम्, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

2. समिति की संरचना निम्नलिखित होगी:

- | | |
|--|--------------|
| (I) सचिव, सू. ल. और मू. उद्यम मंत्रालय | : अध्यक्ष |
| (II) सचिव, योजना आयोग | : सदस्य |
| (III) सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग | : सदस्य |
| (IV) भानुनिदेशक (आपूर्ति और निपटान),
वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | : सदस्य |
| (V) अपर सचिव एवं विकास आयुक्त(सू. ल. म. उद्यम) | : सदस्य-सचिव |

3. समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

- (i) मामला-दर-मामला आधार पर 20 प्रतिशत के लक्ष्य से छूट देने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अनुरोधों पर विचार करना;
- (ii) केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर सूक्ष्म और लघु उद्यम से विशिष्ट खरीद के लिए आरक्षित 358 मदों की सूची (परिशिष्ट के अनुसार) की समीक्षा;
- (iii) सरकारी विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा निकाली गई निविदाओं में अनुचित शर्तें लगाने सहित सरकारी उपापन के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यम से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा; और
- (iv) केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम से की जाने वाले उपापनों को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले विशेष उपायों का सुझाव देना।

4. समिति केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के किन्हीं अन्य मंत्रालयों / विभागों को सम्मिलित कर सकती है या बैठकों में किसी अन्य विशेषज्ञ / व्यक्ति, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित हो, को जब भी आवश्यक हो आमंत्रित कर सकती है।

5. विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय इस समिति को सचिवीय समर्थन उपलब्ध करेगा।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(प्रवीण महतो)

अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार

दूरभाष: 23062230, फैक्स: 23061611

परिशिष्ट**हस्तशिल्प क्षेत्र सहित लघु उद्योग इकाइयों से खरीद के लिए आवश्यित मदाँ की सूची****क्रम सं. मद विवरण**

1. ए ए सी/और ए सी एस आर कन्डक्टर 19 स्ट्रेंड तक
2. एग्रीकल्चरल हम्पलीमेंट्स
 - क. हस्तप्रचालित औजार और उपकरण
 - ख. पशुधालित उपकरण
3. एयर/लम कूलर
4. एल्यूमिनियम बिल्डर्स हार्डवेयर
5. एम्बुलेंस स्ट्रेचर
6. एमसीटर्स / ओहम मीटर / वोल्ट मीटर(क्लास1 परिशुद्धता तक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक)
7. एंकलेट वेब खाकी
8. ऑगुर (कारपेंटसी)
9. आटोमोबाइल हैड लाईट एसेम्बली
10. बैज क्लाथ कढाई और मेटल के
11. लैदर, काटन, कैनवस और जूट इत्यादि के बने सभी प्रकार के बैग किट बैग, मेल बैग, स्लीपिंग बैग और वाटर प्रूफ बैग सहित
12. बैन्डेज क्लाथ
13. बारबेड वायर
14. बास्केट केन (राज्य वन निगम और राज्य हस्तशिल्प निगम से भी खरीद की जा सकती है)
15. बाथ टब
16. बैटरी चार्जर
17. बैटरी एलीमिनेटर
18. बीम स्केल (1.5 टन तक)
19. बेल्ट लैदर एंड स्ट्रैप्स
20. बैन्च वाइसिस
21. बिटुमिनीअस पेंट्स
22. ब्लॉटिंग पेपर

- 23.बोल्ट्स एंड नट्स
- 24.बोल्ट्स स्लाईडिंग
- 25.बोन मील
- 26.बूट पालिश
- 27.कैनवस जूतों सहित सभी प्रकार के बूट्स एंड शूज
- 28.बाउल
- 29.लैदर बाक्स
- 30.मैटल के बने बाक्स
- 31.ब्रासिस
- 32.ब्राकेट्स, रेलवे में प्रयुक्त के अलावा
- 33.ब्रास वायर
- 34.ब्रीफकेस (मोल्डेड लगेज के अलावा)
- 35.झाड़ू
- 36.सभी प्रकार के ब्रश
- 37.सभी प्रकार की बाल्टियां
- 38.सभी प्रकार के बटन
- 39.केंडल वैक्स कैरिज
- 40.केन वाल्व/स्टोक वैल्वस (केवल वॉटर फिटिंग के लिए)
- 41.मैटालिक कैन (दूध और मापने के लिए)
- 42.कैनवस प्रोडक्ट्स
 - (क) वाटर प्रूफ डेलिवर बैग, स्पे. नं. आई एस-1422/70
 - (ख) बोनट कवर और रेडियटर स्पे.ट्रे एल वी 7/ एन एस एन / आई ए / 130295
- 43.सूती और ऊनी कैप्स
- 44.वाटरप्रूफ कैप्स
- 45.कैरस्टर आयल
- 46.सीलिंग रोसिस 15 एम्पी तक
- 47.सेन्ट्रीफुगल स्टील प्लेट ब्लोवर्स
- 48.सेन्ट्रीफुगल पंप
- 49.चाफ कटर ब्लेड
- 50.चेन लार्शिंग
- 51.चप्पल एंड सेंडिल
- 52.चामोइस लैदर
53. चोक्स फोर लाइट फीटिंग
- 54.क्रोम टैन्ड लैदर (सेमी-फिनिशड बैंस और गाय)
- 55.सरकिलप्स
- 56.क्लॉ बार्स एंड वायर्स
- 57.क्लीनिंग पाउडर
- 58.क्लीनिकल थर्मोमीटर्स
- 59.क्लाथ कवर्स

- 60.क्लाथ जाकोनट
- 61.क्लाथ स्पॉन्ज
- 62.कैयर फाइबर एंड कैयर यार्न
- 63.कैयर मैटरेस कुशन्स एंड मैटिंग
- 64.कैयर रोप हँसरलेड
- 65.कम्युनिटी रेडियो रिसीवर
- 66.,कन्डुट पाईप्स
- 67.कॉपर नेल
- 68.कॉपर नैपथीनेट
- 69.कॉपर सलफेट
- 70.कॉर्ड टवीन मेकर
- 71.कॉरडेज अदर्स
- 72.कोर्लगोटिड पेपर बोर्ड एंड बाक्स
- 73.कॉटन एब्सोरबेंट
- 74.कॉटन बेल्ट्स
- 75.कॉटन कैरियर्स
- 76.कॉटन केसिस
- 77.कॉटन कार्ड टवीन
- 78.कॉटन हौजरी
- 79.कॉटन पैक्स
- 80.कॉटन पाउच
- 81.कॉटन रोप
- 82.कॉटन सिंगलेट
- 83.कॉटन स्लींग
- 84.कॉटन स्ट्रैप्स
- 85.कॉटन टैप्स एंड लेसिस
- 86.कॉटन वूल (नॉन एब्जाबैट)
- 87.क्रेट वुडन एंड प्लास्टिक
- 88.(क)कूसीबल्स 200 नं. तक
(ख)कूसीबल्स ग्रेफाईट 500 नं. तक
(ग)अन्य कूसीबल्स 30 कि.ग्रा.तक
- 89.कम्बल एंड रजाईयां
- 90.करटेन्स मोसकीटो
- 91.कट्स
- 92.डीबूटी फिथालेट
- 93.डीजल इंजन 15 एच पी तक
- 94.डाइमेथाइल फिथालेट
- 95.डिसइंफेक्टेन्ट फलूड
- 96.डिस्ट्रीब्यूटिशन बोर्ड 15 एम्पी तक

97. घरेलू बिजली के उपकरण (बीआईएस मानकों के अनुसार)- बिजली का टोस्टर, प्रैस, हॉट प्लेटस, मिक्सर ग्राइंडर रूम हीटर, कनवैक्टर्स एंड ओवन
98. घरेलू पी वी सी केबल्स एंड वायर्स (अल्यूमिनियम)
नियंत्रित बीआईएस मानकों के अनुरूप और 10.00 एमएम स्क्वायर नॉमिनल क्रास सेक्शन तक
99. ड्राईंग एंड मैथमैटिकल्स इन्स्ट्रुमेंट्स
100. ड्रम्स एंड बैरल
101. डस्ट बिन
102. डस्ट शील्ड लैदर
103. सभी प्रकार के कॉटन डस्टर, खादी में आवश्यक मदों को छोड़कर
104. डाईज
(क) एजो डाई(डायरैक्ट और एसिड)
(ख) बेसिक डाई
105. बिजली की कॉल बैल / बजर / डोर बैल
106. इलैक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन
107. इलैक्ट्रिक ट्रांसमीशन लाईन हार्डवेयर मद्दें जैसे कि स्टील क्रास बार्स, क्रास आर्स क्लैम्प्स आर्चिंग हार्न, ब्रैकेट्स, आद
108. इलैक्ट्रोनिक डोर बैल
109. एमरजेंसी लाईट (रिचार्ज होने वाली)
110. इनेमल वायर्स और इनेमल यूटेंसिल
111. इक्यूपर्मेंट कैम्बल्ज बम्बू सपोर्ट
112. एक्जास्ट मफलर
113. एक्सपैंडिड मेटल
114. आईलेट्स
115. फिल्म पॉलीथीन-वाइड विड्थ फिल्म सहित
116. फिल्म स्पूल्स एंड कैन्स
117. अग्नि शामक (बाल टाइप)
118. फूट पाउडर
119. फ्रैन्च पॉलिश
120. फानेल्स
121. फ्यूज कट आउट
122. फ्यूज यूनिट
123. गारमेंट्स (इंडियन आर्डनेन्स फैक्टरियों की आपूर्ति को छोड़कर)
124. गैस मेन्टल
125. गाउज क्लाथ
126. सभी प्रकार के गाउज सरजीकल
127. गामेल्स (तसला)
128. ग्लास एम्पुल्स
129. ग्लास एंड प्रेस्ड वेयर

130. ग्लू
131. ग्रीस निप्पल्स एंड ग्रीस गन्स
132. गन केसिस
133. गन मेटल बुश
134. गमटेप
135. सभी प्रकार के हैंड ड्रॉन काट्स
136. सभी प्रकार के हैंड ग्लब्स
137. हैंड लैम्प्स रेलवे
138. हैंड नम्बरिंग मशीन
139. हैंड पाउंडिंग राईस (पॉलिश और बिना पॉलिश किए हुए)
140. हैंड प्रेसेस
141. हैंड पम्प
142. सभी प्रकार के हैंड ट्रूल्स
143. हैंडल बुडन एंड बैम्बू (राज्य वन निगम और राज्य हस्तशिल्प निगम से भी अधिप्राप्ति की जा सकती है)
144. हारनेस लैदर
145. हस्पस एंड स्टैप्लस
146. हैवर सैक्स
147. हेलमेट नॉन-मेटालिक
148. सभी प्रकार के हाईड एंड कंट्री लैदर
149. हिंग्स
150. हॉब नेल्स
151. होल्डाल
152. हनी
153. हॉर्स एंड मूल शूज
154. हाइड्रोलिक जैक्स 30 टन कैपिसिटी से कम
155. इंसैक्टीसाईड डस्ट एंड स्पेयर्स(केवल मैनुअल)
156. इनवैलिड व्हील चेयर
157. घरेलू प्रकार के इंवर्टर 5 के वी ए तक
158. इस्त्री (धोबी)
159. की-बोर्ड बुडन
160. किट बाक्स
161. कोदाली
162. लेस लैदर
163. लैम्प होल्डर
164. लैम्प सिंगल
165. लालटेन पोस्ट एंड बॉडीज
166. लैनयार्ड
167. लेटेक्स फोम स्पंज

168. लाठी
169. लैटर बाक्स
170. लाईटिंग अरेस्टर 22 के बी तक
171. लिंक किलप
172. लिनसीड आयल
173. लिट प्लेन
174. लॉकस
175. लुब्रीकेटर्स
176. एल टी पोरसीलेन किटकेट एंड फ्यूज ग्रिप
177. मशीन स्क्रूब्स
178. मैनिशियम सल्फेट
179. मैलेट वूडन
180. मैनहोल कवर्स
181. मेज़ारिंग टेप्स एवं स्टिक्स
182. मैटलक्लैड स्विचिज (30 एम्पलीफार्यर्स तक)
183. मैटल पोलिश
184. मैटालिक कन्टेनर्स एंड ड्रम्स अदरदैन एन बी सी (नोट एल्सवियर क्लासिफाईड)
185. मीट्रिक छेट्स
186. माइक्रोस्कोप फोर नोर्मल मैडीकल यूज़
187. मिनिएचर ब्लब्स (फोर टार्चिज ऑनली)
188. एम.एस. टार्झ बार्स
189. नेल कर्टर्स
190. नेथ्यलिन बाल्स
191. नीवाड़
192. निक्कल सल्फेट
193. नाइलॉन स्टॉकिंग
194. नाइलॉन टेप्स एंड लेसिज़
195. आयल बाउंड डिस्पेम्पर
196. आयल स्टोब्स (विक स्टोब्स ऑनली)
197. पैड लॉक्स ऑफ ऑल टाइप्स
198. पेंट रिमूवर
199. पाल्मा रोज़ा आयल
200. पॉमगुर
201. पैन्स लेवोटरी फ्लश
202. पेपर कन्वर्जन प्रोडक्ट्स, पेपर बैग्स, एनवलप्स, आइसक्रीम कप, पेपर कप एंड सोसर्स एंड पेपर प्लेट्स
203. पेपर टेप्स (गम्फ)
204. पापड़
205. पिकल्स एंड चटनी
206. पाइल्स फैबरिक
207. पिल्लौ
208. प्लास्टर ऑफ पेरिस

209. प्लास्टर ब्लौ मोल्डिंग कन्टेनर्स अप टू 20 लिटर एक्सक्लूडिंग पोलि इथलिन टर्फथलेट (पी ई टी) कन्टेनर्स
210. प्लास्टिक केन
211. प्लेइंग कार्ड्स
212. प्लग एंड सॉकेट इलैक्ट्रिक अप टू 15 एम्पलीफायर
213. पोलिथिन बैग्स
214. पोलिथिन पाईप्स
215. पोस्ट पिकेट (बूँडन)
216. पोस्टल लैड सील्स
217. पोटेसियम नाईट्रेट
218. पाऊच
219. प्रेशर डाई कास्टिंग अप टू 0.75 किलोग्राम
220. प्रिवी पैन्स
221. पुल्ली वायर
222. पी वी सी फुटवियर
223. पी वी सी पाईप्स अपटू 110 मि.मी.
224. पीवीसी इंशुलेटिड एल्युमिनियम केबल्स (120 स्केयर मि.मी. तक) (आई एस एस: 694)
225. किल्ट्स, रजाई
226. रैग्स
227. रेलवे कैरिज लाईट फिटिंग्स
228. रेक्स ब्लॉस्ट
229. रेजर
230. आरसीसी पाईप अपटू 1200 मि.मी. डाया
231. आर सी सी पोल्स प्रिस्ट्रेस्ड
232. रिवेट ऑफ ऑल टाईप्स
233. रोलिंग शटर्स
234. रुफ लाईट फिटिंग
235. रबड बैलून
236. रबड कोर्ड
237. रबड होसिस (अनब्राडिड)
238. रबड टयूबिंग (एक्सक्ल्यूडिंग ब्रेडिड टयूबिंग)
239. रबराईज्ड गारमेंट कैप एंड कैप्स, एट.
240. रस्ट/स्केल रिमूविंग कम्पोजिशन
241. सेफ मीट एंड मिल्क
242. सेफ्टी मैचिज
243. सेफ्टी पिन्स(एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट लाईक पेपर पिन्स, स्टेपल्स पिन्सए एट.
244. सैनेटरी प्लम्बिंग फिटिंग
245. सैनेटरी टावल्स
246. साइन्टीफिक लेवोरेटरी ग्लास वियर (बारिंग साफीस्टिकेटिड आइटम)
247. सिज़र कटिंग (आर्डिनरी)
248. स्कूब्ज ऑफ ऑल टाईप इन्क्लूडिंग हाई टेन्साईल

249. शीप स्किन आल टाइप
250. शेलक
251. शू लेसिज़
252. शावेल्स
253. साइन बोर्ड पेन्टिङ
254. सिल्क रिबन
255. सिल्क वैरिंग
256. रकाईबूट्स एंड शूज
257. स्लयूज वाल्वज
258. स्नेपफास्टनर (एक्सक्लूडिंग 4 पीसीएस. वन्स)
259. सोप कार्बोलिक
260. सोप कर्ड
261. सोप लिकिंड
262. सोप साफ्ट
263. सोप वार्सिंग ओर लॉन्डरी सोप
264. सोप येल्लो
265. सॉकेट/पाइप
266. सोडियम नाइट्रेट
267. सोडियम सिलिकेट
268. सोल लैदर
269. स्पेक्टेकल फ्रेम्स
270. स्पाईकड बूट
271. स्पोर्ट्स शूज मेड आउट ऑफ लैदर (फोर आल स्पोर्ट्स गेम्स)
272. स्कर्वल केज इंडक्शन मोटर्स अप टू एंड इन्क्लूडिंग 100 किलो वाट 44 वोल्ट 3 फेस
273. स्टेपलिंग मशीन
274. स्टील अलमिरा
275. स्टील बैड स्टैड
276. स्टील चैयर
277. स्टील डैस्क
278. स्टील रैक्स/शैल्फ
279. स्टील स्टूल्स
280. स्टील ट्रंक
281. स्टील वूल
282. स्टील एंड एल्युमिनियम विन्डो एंड वैटिलेटर
283. स्टाकिनेट
284. स्टोन एंड स्टोन क्वैरी रोलर
285. स्टोन वियर जार
286. स्ट्रैंडिंग शःयर
287. स्ट्रीट लाइट फिर्टिंग
288. स्टूडेंट माइक्रोस्कोप
289. स्टड (एक्सक्लूडिंग हाई टैंसाइल)

249. शीप स्लिम आल टाइप
250. शेलक
251. शू लेसिज़
252. शावेल्स
253. साइन बोर्ड पेन्टिंग
254. सिल्क रिबन
255. सिल्क वैरिंग
256. रकाइबूटस एंड शूज
257. स्लयूज वाल्वज
258. स्नेपफास्टनर (एक्सक्लूडिंग 4 पीसीएस. वन्स)
259. सोप कार्बोलिक
260. सोप कर्ड
261. सोप लिकिड
262. सोप साफ्ट
263. सोप वार्शिंग ओर लॉन्डरी सोप
264. सोप येल्लो
265. सॉकेट/पाइप
266. सोडियम नाइट्रेट
267. सोडियम सिलिकेट
268. सोल लैदर
269. स्पेक्टेकल फ्रेम्स
270. स्पाईकड बूट
271. स्पोर्ट्स शूज मेड आउट ऑफ लैदर (फोर आल स्पोर्ट्स गेम्स)
272. स्कर्वल केज इंडक्शन मोटर्स अप टू एंड इन्क्लूडिंग 100 किलो वाट 44 वोल्ट 3 फेस
273. स्टेपलिंग मशीन
274. स्टील अलमिरा
275. स्टील बैड स्टेड
276. स्टील चेयर
277. स्टील डैस्क
278. स्टील रैक्स/शैल्फ
279. स्टील स्टूल्स
280. स्टील ट्रंक
281. स्टील वूल
282. स्टील एंड एल्युमिनियम विन्डो एंड वैटिलेटर
283. स्टाकिनेट
284. स्टोन एंड स्टोन क्वैरी रोलर
285. स्टोन वियर जार
286. स्ट्रैंडिङ डायर
287. स्ट्रीट लाइट फिटिंग
288. स्टूडेंट माइक्रोस्कोप
289. स्टड (एक्सक्लूडिंग हाई टैंसाइल)

290. सर्जिकल ग्लोब्स (एक्सैप्ट प्लास्टिक)
291. टेबल नाइक्स (एक्सक्लूडिंग कटलरी)
292. टेक मैटलिक
293. टैप्स
294. तारपोलिन
295. टीक फैब्रेकेटिड राउंड ब्लॉक्स
296. टैन्ट पोल्स
297. टैन्टेज सिविल / मिलिट्री एंड सेलिताह जूट फोर टैन्टेज
298. टैक्सटाइल मैच्युफैक्चरर्स अदर दैन एन. ई. सी. (नोट एल्सवियर क्लासीफाइड)
299. टाइल्स
300. टिन बॉक्सिज फोर पोस्टेज स्टैम्प
301. टिन केन अनप्रिंटिड अप टू 4 गैलन कैपेसिटी (अदर दैन केन ओ.टी.एस.)
302. टिन मैस
303. टिप बूट्स
304. टोगल स्विचज
305. टायलेट रोल्स
306. ट्रांसफार्मर टाइप वैल्डिंग सैट्स कंफोरमिंग टू आई एस: 1291/75 (अप टू 600 एम्पलीफायर)
307. ट्रांजिस्टर रेडियो अप टू 3 बैंड
308. ट्रांजिस्ट्राईज्ड इसुलेशन-टैस्टर
309. ट्रेज
310. ट्रे फोर पोस्टल यूज
311. ट्रॉलि
312. ट्रालि-ड्रिंकिंग वाटर
313. टयूबलर पोल्स
314. टायर एंड टयूब (साइकिल)
315. अम्बेला
316. यूटेंसिल ऑल टाइप्स
317. वाल्व मैटलिक
318. वार्निश ब्लैक जापान
319. वोल्टेज स्टैबलाइजर इन्क्लूडिंग सी.वी.टी.
320. वाशर आल टाइप्स
321. वाटर प्रूफ कवर
322. वाटर प्रूफ पेपर
323. वाटर टैंक अप टू 15,000 लिटर कैपेसिटी
324. वैक्स सीलिंग
325. वैक्सड पेपर
326. वेइंग स्केल
327. वैल्डिड वायरमाश
328. व्हील बारोस
329. विसल
330. विक्स कोटन

331. विंग शील्ड वाइपर (आर्मस एंड ब्लेड्स ऑनली) १०५
 332. वायर ब्रेसिज एंड फाइबर ब्रेसिज ३०५
 333. वायर फेन्सिंग एंड फिटिंग ३०५
 334. वायर नेल्स एंड होर्स शू नेल्स ३०५
 335. वायर नेटिंग्स ऑफ गौज थिकर दैन 100 मेश साईज ३०५
 336. बूड बूल ३०५
 337. बूडन एम्पुनिशन बॉक्सीज ३०५
 338. बूडन बोर्ड्स ३०५
 339. बूडन बॉक्स फोर स्टैम्प्स ३०५
 340. बूडन बॉक्सीज एंड केसिज एन.ई.सी. (नोट एल्सवियर क्लासीफाइड) ३०५
 341. बूडन चेयर्स ३०५
 342. बूडन फ्लश डोर शटर्स ३०५
 343. बूडन पैकिंग केसिज आल साईजिज ३०५
 344. बूडन पिन्स ३०५
 345. बूडन प्लास ३०५
 346. बूडन शैल्वज ३०५
 347. बूडन देनियर्स ३०५
 348. बूलन हौजरी ३०५
 349. जिंक सल्फेट ३०५
 350. जिप फास्टनर ३०५

हैंडीक्राफ्ट आयटम्स

क्रम सं. बस्तु विवरण
 351. केन फर्नीचर

आपूर्ति का खोत
 नोर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन
 असम गवर्नमेंट मार्किटिंग कोरपोरेशन क्राफ्ट रोसाइटी ऑफ
 मणिपुर
 नागार्लैंड हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन

352. बेम्बु फाइल द्रे, बास्केट, पैसिल
 स्टेंड, साईड रैक एट. -वही-
353. आर्टिस्टिक बूडन फर्नीचर राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज कोरपोरेशन, उत्तर प्रदेश
354. बूडन पेपर बेट, रैक्स एट. एक्स्पोर्ट कोरपोरेशन
355. ग्लास कवर्स मेड ऑफ बूड एंड -वही-
 ग्रास जूट -वही-
356. जूट फर्नीचर वैस्ट बंगाल हैंडीक्राफ्ट डेवलेपमेंट कोरपोरेशन
 जूट मैन्युफैक्चरिंग डेवलेपमेंट कोरपोरेशन
 उड़ीसा स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कोरपोरेशन
357. जूट बैग्स, फाइल कवर -वही-
358. बूलन एंड सिल्क कारपेट्स यू पी एक्स्पोर्ट कोरपोरेशन
 जो एंड के सेल एंड एक्स्पोर्ट कोरपोरेशन

**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES**

New Delhi, the 23rd March, 2012

ORDER

S.O. 581(E).—Whereas, the Central Government Ministries, Departments and Public Sector Undertakings shall procure minimum of 20 per cent of their annual value of goods or services from Micro and Small Enterprises;

And whereas, the Public Procurement Policy shall apply to Micro and Small Enterprises registered with District Industries Centers or Khadi and Village Industries Commission or Khadi and Village Industries Board or Coir Board or National Small Industries Corporation or Directorate of Handicrafts and Handloom or any other body specified by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises;

And whereas, the Public Procurement Policy rests upon core principles of competitiveness, adhering to sound procurement practices and execution of orders for supply of goods or services in accordance with a system which is fair, equitable, transparent, competitive and cost effective; and

And whereas, for facilitating promotion and development of micro and small enterprises, the Central Government or the State Government, as the case may be, by Order notify from time to time, preference policies in respect of procurement of goods and services, produced and provided by micro and small enterprises, by its Ministries or Departments, as the case may be, or its aided institutions and public sector enterprises.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred in section 11 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act 2006, the Central Government, by Order, notifies the Public Procurement Policy (hereinafter referred to as the Policy) in respect of procurement of goods and services, produced and provided by micro and small enterprises, by its Ministries, Departments and Public Sector Undertakings.

2. Short title and commencement. -

- (1) This Order is titled as 'Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012'.
- (2) It shall come into force with effect from 1st April 2012.

3. Mandatory procurement from Micro Small and Enterprises.—(1) Every Central Ministry or Department or Public Sector Undertaking shall set an annual goal of procurement from Micro and Small Enterprises from the financial year 2012-13 and onwards, with the objective of achieving an overall procurement of minimum of 20 per cent, of total annual purchases of products produced and services rendered by Micro and Small Enterprises in a period of three years.

(2) Annual goal of procurement also include sub-contracts to Micro and Small Enterprises by large enterprises and consortia of Micro and Small Enterprises formed by National Small Industries Corporation.

(3) After a period of three years i.e. from 1st April 2015, overall procurement goal of minimum of 20 per cent shall be made mandatory.

(4) The Central Ministries, Departments and Public Sector Undertakings which fail to meet the annual goal shall substantiate with reasons to the Review Committee headed by Secretary (Micro, Small and Medium Enterprises), constituted in Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, under this Policy.

4. Special provisions for Micro and Small Enterprises owned by Scheduled Castes or Scheduled Tribes. % Out of 20 per cent target of annual procurement from Micro and Small Enterprises, a sub-target of 20 per cent (i.e., 4 per cent out of 20 per cent) shall be earmarked for procurement from Micro and Small Enterprises owned by the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe entrepreneurs. Provided that, in event of failure of such Micro and Small Enterprises to participate in tender process or meet tender requirements and L1 price, 4 per cent sub-target for procurement earmarked for Micro and Small Enterprises owned by Scheduled Caste or Scheduled Tribe entrepreneurs shall be met from other Micro and Small Enterprises.

5. Reporting of targets in Annual Report. % (1) The data on Government procurements from Micro and Small Enterprises is vital for strengthening the Policy and for this purpose, every Central Ministry or Department or Public Sector Undertaking shall report goals set with respect to procurement to be met from Micro and Small Enterprises and achievement made thereto in their respective Annual Reports.

(2) The annual reporting shall facilitate in better understanding of support being provided by different Ministries or Departments or Public Sector Undertakings to Micro and Small Enterprises.

6. Price quotation in tenders. % (1) In tender, participating Micro and Small Enterprises quoting price within price band of L1+15 per cent shall also be allowed to supply a portion of requirement by bringing down their price to L1 price in a situation where L1 price is from someone other than a Micro and Small Enterprise and such Micro and Small Enterprise shall be allowed to supply up to 20 per cent of total tendered value.

(2) In case of more than one such Micro and Small Enterprise, the supply shall be shared proportionately (to tendered quantity).

7. Developing Micro and Small Enterprise vendors. – The Central Ministries or Departments or Public Sector Undertakings shall take necessary steps to develop appropriate vendors by organizing Vendor Development Programmes or Buyer-Seller Meets and entering into Rate

Contract with Micro and Small Enterprises for a specified period in respect of periodic requirements.

8. Annual Plan for Procurement from Micro and Small Enterprises on websites. — The Ministries or Departments or Public Sector Undertakings shall also prepare Annual Procurement Plan for purchases and upload the same on their official website so that Micro and Small Enterprises may get advance information about requirement of procurement agencies.

9. Enhancing participations of Micro and Small Enterprises including those owned by Scheduled Castes or Scheduled Tribes in Government procurements. % For enhancing participation of Scheduled Castes or Scheduled Tribes in Government procurement, the Central Government Ministries, Departments and Public Sector Undertakings shall take following steps, namely:-

- (a) Special Vendor Development Programmes or Buyer-Seller Meets shall be conducted by Departments/Public Sector Undertakings for Scheduled Castes or Scheduled Tribes;
- (b) Outreach programmes shall be conducted by National Small Industries Corporation to cover more and more Micro and Small Enterprises from Scheduled Castes or Scheduled Tribes under its schemes of consortia formation; and
- (c) National Small Industries Corporation shall open a special window for Scheduled Castes or Scheduled Tribes under its Single Point Registration Scheme (SPRS).

10. Reduction in transaction cost. % To reduce transaction cost of doing business, Micro and Small Enterprises shall be facilitated by providing them tender sets free of cost, exempting Micro and Small Enterprises from payment of earnest money, adopting e-procurement to bring in transparency in tendering process and setting up a Grievance Cell in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

11. Reservation of specific items for procurement. % To enable wider dispersal of enterprises in the country, particularly in rural areas, the Central Government Ministries or Departments or Public Sector Undertakings shall continue to procure 358 items (Appendix) from Micro and Small Enterprises, which have been reserved for exclusive purchase from them. This will help in promotion and growth of Micro and Small Enterprises, including Khadi and village industries, which play a critical role in fostering inclusive growth in the country.

12. Review Committee. (1) A Review Committee has been constituted under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, for

monitoring and review of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises vide Order No. 21(1)/2007-MA dated the 21st June 2010 (Annexure).

(2) This Committee shall, inter alia, review list of 358 items reserved for exclusive purchase from Micro and Small Enterprises on a continuous basis, consider requests of the Central Ministries or Departments or Public Sector Undertakings for exemption from 20 per cent target on a case to case basis and monitor achievements under the Policy.

13. Setting up of Grievance Cell. % In addition, a 'Grievance Cell' will be set up in Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises for redressing grievances of Micro and Small Enterprises in Government procurement. This cell shall take up issues related to Government procurement raised by Micro and Small Enterprises with Departments or agencies concerned, including imposition of unreasonable conditions in tenders floated by Government Departments or agencies that put Micro and Small Enterprises at a disadvantage.

14. Special Provisions for Defence Procurements. % Given their unique nature, defence armament imports shall not be included in computing 20 per cent goal for Ministry of Defence. In addition, defence equipments like weapon systems, missiles, etc. shall remain out of purview of such Policy of reservation.

15. Monitoring of Goals. % The monitoring of goals set under the Policy shall be done, in so far as they relate to the Defence sector, by Ministry of Defence itself in accordance with suitable procedures to be established by them.

16. Removal of difficulty. % Any difficulties experienced during the course of implementation of the above Policy shall be clarified by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises through suitable Press releases which would be kept on the public domain.

[F.No. 21(1)/2011-MA]

AMARENDRA SINHA, Additional Secretary and
Development Commissioner (MSME)

ANNEXURE

No. 21(1)/2007-MA
Government of India
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
Office of the Development Commissioner (MSME)

'A' Wing, 7th Floor, Nirman Bhavan,
New Delhi-110108

Dated: 21st June, 2010

ORDER

Subject: Constitution of a Committee for monitoring and

review of the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises

Pending approval of the new Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs), a Committee is hereby constituted for looking into the applicability of some of the provisions of the proposed Policy in respect of select Central Ministries/Departments.. The Committee will be chaired by the Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

2. The composition of the Committee will be as follows:

- (i) Secretary, Ministry of MSME : Chairman
- (ii) Secretary, Planning Commission : Member
- (iv) Secretary, Department of Public Enterprises : Member
- (v) Director General (Supplies and Disposals), Department of Commerce, : Member
- (vii) Ministry of Commerce and Industry
- (viii) Additional Secretary and Development Commissioner (MSME) : Member Secretary

3. The Committee will undertake the following functions:

- (i) Consider the requests of the Central Ministries/ Departments/PSUs for exemption, on a case to case basis, from the 20% target;
- (ii) Review the list of 358 items (as per Appendix) reserved for exclusive purchase from the MSEs based on the feedback received from the Central Ministries/Departments/PSUs ;
- (iii) Review the grievances received from MSEs regarding Government procurement, including imposition of unreasonable conditions in the tenders floated by the Government Departments/PSUs; and
- (iv) Suggest special measures to be taken by the Central Ministries/Departments for enhancing their procurements from MSEs.

4. The Committee may co-opt any other Ministries/ Departments of the Central Government as well as State Governments or invite any other expert/person associated/ concerned with the MSMEs in its meetings, as and when required.

5. The Office of the Development Commissioner (MSME) will provide secretariat support to this Committee.

6. This issues with the approval of the Competent Authority.

Sd-

(Praveen Mahto)

Additional Economic Adviser

Ph: 23062230, Fax: 23061611

APPENDIX

LIST OF ITEMS RESERVED FOR PURCHASE FROM SMALL SCALE INDUSTRIAL UNITS INCLUDING HANDICRAFT SECTOR

SI No. Item Description

1. AAC/and ACSR Conductor upto 19 strands
2. Agricultural Implements
 - (a) Hand Operated tools and implements
 - (b) Animal driven implements
3. Air/Room Coolers
4. Aluminum builder's hardware
5. Ambulance stretcher
6. Ammeters/ohm meter/Volt meter (Electro magnetic upto Class I accuracy)
7. Anklets Web Khaki
8. Augur (Carpenters)
9. Automobile Head lights Assembly
10. Badges cloth embroidered and metals
11. Bags of all types i.e. made of leather, cotton, canvas and jute etc. including kit bags, mail bags, sleeping bags and water-proof bag.
12. Bandage cloth
13. Barbed Wire
14. Basket cane (Procurement can also be made from State Forest Corpn. and State Handicrafts Corporation)
15. Bath tubs
16. Battery Charger
17. Battery Eliminator
18. Beam Scales (upto 1.5 tons)
19. Belt leather and straps
20. Bench Vices
21. Bituminous Paints
22. Blotting Paper

- 23. Bolts and Nuts
- 24. Bolts Sliding
- 25. Bone Meat
- 26. Boot Polish
- 27. Boots and Shoes of all types including canvas shoes
- 28. Bowls
- 29. Boxes Leather
- 30. Boxes made of metal
- 31. Braces
- 32. Brackets other than those used in Railways
- 33. Brass Wire
- 34. Brief Cases (other than moulded luggage)
- 35. Brooms
- 36. Brushes of all types
- 37. Buckets of all types
- 38. Button of all types
- 39. Candle Wax Carriage
- 40. Cane Valves/stock valves (for water fittings only)
- 41. Cans metallic (for milk and measuring)
- 42. Canvas Products :
 - (a) Water Proof Deliver, Bags to spec. No. IS - 1422/70
 - (b) Bonnet Covers and Radiators Muff. to spec. Drg. Lv 7/NSN/IA/130295
- 43. Capes Cotton and Woollen
- 44. Capes Waterproof
- 45. Castor Oil
- 46. Ceiling roses upto 15 amps
- 47. Centrifugal steel plate blowers
- 48. Centrifugal Pumps suction and delivery 150 mm. x 150 mm
- 49. Chaff Cutter Blade
- 50. Chains lashing
- 51. Chappals and sandals
- 52. Chamois Leather
- 53. Chokes for light fitting
- 54. Chrome Tanned leather (Semi-finished Buffalo and Cow)
- 55. Circlips
- 56. Claw Bars and Wires
- 57. Cleaning Powder
- 58. Clinical Thermometers
- 59. Cloth Covers
- 60. Cloth Jaconet
- 61. Cloth Sponge
- 62. Coir fibre and Coir yarn
- 63. Coir mattress cushions and matting
- 64. Coir Rope hawserlaid
- 65. Community Radio Receivers
- 66. Conduit pipes
- 67. Copper nail
- 68. Copper Napthenate
- 69. Copper sulphate
- 70. Cord Twine Maker
- 71. Cordage Others
- 72. Corrugated Paper Board and Boxes
- 73. Cotton Absorbent
- 74. Cotton Belts
- 75. Cotton Carriers
- 76. Cotton Cases
- 77. Cotton Cord Twine
- 78. Cotton Hosiery
- 79. Cotton Packs
- 80. Cotton Pouches
- 81. Cotton Ropes
- 82. Cotton Singlets
- 83. Cotton Sling
- 84. Cotton Straps
- 85. Cotton tapes and laces
- 86. Cotton Wool (Non absorbent)
- 87. Crates Wooden and plastic
- 88. (a) Crucibles upto No. 200
 - (b) Crucibles Graphite upto No. 500
 - (c) Other Crucibles upto 30 kgs.
- 89. Cumblies and blankets
- 90. Curtains mosquito
- 91. Cutters
- 92. Dibutyl phthalate
- 93. Diesel engines upto 15 H.P
- 94. Dimethyl Phthalate
- 95. Disinfectant Fluids
- 96. Distribution Board upto 15 amps
- 97. Domestic Electric appliances as per BIS Specifications :-
- Toaster Electric, Elect. Iron, Hot Plates, Elect. Mixer, Grinders, Room heaters and convectors and ovens
- 98. Domestic (House Wiring) P.V.C. Cables and Wires (Aluminum) Conforming to the prescribed BIS Specifications and upto 10.00 mm sq. nominal cross section
- 99. Drawing and Mathematical Instruments

100. Drums and Barrels
 101. Dust Bins
 102. Dust Shield leather
 103. Dusters Cotton all types except the items required in Khadi
 104. Dyes :
 (a) Azo Dyes (Direct and Acid)
 (b) Basic Dyes
 105. Electric Call bells/buzzers/door bells
 106. Electric Soldering Iron
 107. Electric Transmission Line Hardware items like steel cross bars, cross arms clamps arching horn, brackets, etc
 108. Electronic door bell
 109. Emergency Light (Rechargeable type)
 110. Enamel Wares and Enamel Utensils
 111. Equipment camouflage Bamboo support
 112. Exhaust Muffler
 113. Expanded Metal
 114. Eyelets
 115. Film Polythene - including wide width film
 116. Film spools and cans
 117. Fire Extinguishers (wall type)
 118. Foot Powder
 119. French polish
 120. Funnels
 121. Fuse Cut outs
 122. Fuse Unit
 123. Garments (excluding supply from Indian Ordnance Factories)
 124. Gas mantels
 125. Gauze cloth
 126. Gauze surgical all types
 127. Ghamellas (Tasillas)
 128. Glass Ampules
 129. Glass and Pressed Wares
 130. Glue
 131. Grease Nipples and Grease guns
 132. Gun cases
 133. Gun Metal Bushes
 134. Gumtape
 135. Hand drawn carts of all types
 136. Hand gloves of all types
 137. Hand Lamps Railways
 138. Hand numbering machine
 139. Hand pounded Rice (polished and unpolished)
 140. Hand presses
 141. Hand Pump
 142. Hand Tools of all types
 143. Handles wooden and bamboo (Procurement can also be made from State Forest Corpn. and State Handicrafts Corporation)
 144. Harness Leather
 145. Hasps and Staples
 146. Haver Sacks
 147. Helmet Non-Metallic
 148. Hide and country leather of all types
 149. Hinges
 150. Hob nails
 151. Holdall
 152. Honey
 153. Horse and Mule Shoes
 154. Hydraulic Jacks below 30 ton capacity
 155. Insecticides Dust and Sprayers (Manual only)
 156. Invalid wheeled chairs.
 157. Invertor domestic type upto 5 KVA
 158. Iron (dhobi)
 159. Key board wooden
 160. Kit Boxes
 161. Kodali
 162. Lace leather
 163. Lamp holders
 164. Lamp signal
 165. Lanterns Posts and bodies
 166. Lanyard
 167. Latex foam sponge
 168. Lathies
 169. Letter Boxes
 170. Lighting Arresters - upto 22 kv
 171. Link Clip
 172. Linseed Oil
 173. Lint Plain
 174. Lockers
 175. Lubricators
 176. L.T. Porcelain KITKAT and Fuse Grips
 177. Machine Screws
 178. Magnesium Sulphate
 179. Mallet Wooden
 180. Manhole covers
 181. Measuring Tapes and Sticks

- 182. Metal clad switches (upto 30 Amps)
- 183. Metal Polish
- 184. Metallic containers and drums other than N.E.C.
(Not elsewhere classified)
- 185. Metric weights
- 186. Microscope for normal medical use
- 187. Miniature bulbs (for torches only)
- 188. M.S. Tie Bars
- 189. Nail Cutters
- 190. Naphthalene Balls
- 191. Newar
- 192. Nickel Sulphate
- 193. Nylon Stocking
- 194. Nylon Tapes and Laces
- 195. Oil Bound Distemper
- 196. Oil Stoves (Wick stoves only)
- 197. Pad locks of all types
- 198. Paint remover
- 199. Palma Rosa Oil
- 200. Palmgur
- 201. Pans Lavatory Flush
- 202. Paper conversion products- paper bags, envelops, Ice-cream cup, paper cup and saucers and paper Plates
- 203. Paper Tapes (Gummed)
- 204. Pappads
- 205. Pickles and Chutney
- 206. Piles fabric
- 207. Pillows
- 208. Plaster of Paris
- 209. Plastic Blow Moulded Containers upto 20 litre excluding Poly Ethylene Terphthalate (PET) Containers
- 210. Plastic cane
- 211. Playing Cards
- 212. Plugs and Sockets electric upto 15 Amp
- 213. Polythene bags
- 214. Polythene Pipes
- 215. Post Picket (Wooden)
- 216. Postal Lead seals
- 217. Potassium Nitrate
- 218. Pouches
- 219. Pressure Die Casting upto 0.75 kg
- 220. Privy Pans
- 221. Pulley Wire
- 222. PVC footwears
- 223. PVC pipes upto 110 mm
- 224. PVC Insulated Aluminium Cables (upto 120 sq. mm)
(ISS:694)
- 225. Quilts, Razais
- 226. Rags
- 227. Railway Carriage light fittings
- 228. Rakes Ballast
- 229. Razors
- 230. RCC Pipes upto 1200 mm. dia
- 231. RCC Poles Prestressed
- 232. Rivets of all types
- 233. Rolling Shutters
- 234. Roof light Fittings
- 235. Rubber Balloons
- 236. Rubber Cord
- 237. Rubber Hoses (Unbranded)
- 238. Rubber Tubing (Excluding braided tubing)
- 239. Rubberised Garments Cap and Caps etc
- 240. Rust/Scale Removing composition
- 241. Safe meat and milk
- 242. Safety matches
- 243. Safety Pins (and other similar products like paper pins, staples pins etc.)
- 244. Sanitary Plumbing fittings
- 245. Sanitary Towels
- 246. Scientific Laboratory glass wares (Barring sophisticated items)
- 247. Scissors cutting (ordinary)
- 248. Screws of all types including High Tensile
- 249. Sheep skin all types
- 250. Shellac
- 251. Shoe laces
- 252. Shovels
- 253. Sign Boards painted
- 254. Silk ribbon
- 255. Silk Webbing
- 256. Skiboots and shoes
- 257. Sluice Valves
- 258. Snapfastner (Excluding 4 pcs. ones)
- 259. Soap Carbolic
- 260. Soap Curd
- 261. Soap Liquid
- 262. Soap Soft
- 263. Soap washing or laundry soap
- 264. Soap Yellow
- 265. Socket/pipes

266. Sodium Nitrate
 267. Sodium Silicate
 268. Sole leather
 269. Spectacle frames
 270. Spiked boot
 271. Sports shoes made out of leather (for all Sports games)
 272. Squirrel Cage Induction Motors upto and including 100 KW440 volts 3 phase
 273. Stapling machine
 274. Steel Almirah
 275. Steel bedsstead
 276. Steel Chair
 277. Steel desks
 278. Steel racks/shelf
 279. Steel stools
 280. Steel trunks
 281. Steel wool
 282. Steel and aluminium windows and ventilators
 283. Stockinet
 284. Stone and stone quarry rollers
 285. Stoneware jars
 286. Stranded Wire
 287. Street light fittings
 288. Student Microscope
 289. Studs (excluding high tensile)
 290. Surgical Gloves (Except Plastic)
 291. Table knives (Excluding Cutlery)
 292. Tack Metallic
 293. Taps
 294. Tarpaulins
 295. Teak fabricated round blocks
 296. Tent Poles
 297. Tentage Civil/Military and Salitah Jute for Tentage
 298. Textiles manufactures other than N.E.C. (not elsewhere classified)
 299. Tiles
 300. Tin Boxes for postage stamp
 301. Tin can unprinted upto 4 gallons capacity (other than can O.T.S.)
 302. Tin Mess
 303. Tip Boots
 304. Toggle Switches
 305. Toilet Rolls
 306. Transformer type welding sets conforming to IS:1291/75 (upto 600 amps)
307. Transistor Radio upto 3 band
 308. Transistorised Insulation - Testers
 309. Trays
 310. Trays for postal use
 311. Trolley
 312. Trollies - drinking water
 313. Tubular Poles
 314. Tyres and Tubes (Cycles)
 315. Umbrellas
 316. Utensils all types
 317. Valves Metallic
 318. Varnish Black Japan
 319. Voltage Stabilisers including C.V.T's
 320. Washers all types
 321. Water Proof Covers
 322. Water Proof paper
 323. Water tanks upto 15,000 litres capacity
 324. Wax sealing
 325. Waxed paper
 326. Weighing Scale
 327. Welded Wire mesh
 328. Wheel barrows
 329. Whistle
 330. Wicks cotton
 331. Wing Shield Wipers (Arms and Blades only)
 332. Wire brushes and Fibre Brushes
 333. Wire Fencing and Fittings
 334. Wire nails and Horse shoe nails
 335. Wire nettings of gauze thicker than 100 mesh size
 336. Wood Wool
 337. Wooden ammunition boxes
 338. Wooden Boards
 339. Wooden Box for Stamps
 340. Wooden Boxes and Cases N.E.C. (Not elsewhere classified)
 341. Wooden Chairs
 342. Wooden Flush Door Shutters
 343. Wooden packing cases all sizes
 344. Wooden pins
 345. Wooden plugs
 346. Wooden shelves
 347. Wooden veneers
 348. Woollen hosiery
 349. Zinc Sulphate
 350. Zip Fasteners

HANDICRAFT ITEMS			
Sl.No.	Item Description	Source of Supply	
351	Cane furniture Handlooms	North Eastern Handicrafts and Development Corporation Assam Govt. Marketing Corpn. Craft Society of Manipur Nagaland Handicrafts and Handlooms Development Corpn.	354. Wooden paper weight, racks etc. -do-
352.	Bamboo file tray, Baskets, Pencil stand, side racks etc.	-do-	355. Glass covers made and grass jute of wood -do-
353.	Artistic Wooden Furniture	Rajasthan Small Industries Corpn., U.P. Export Corporation.	356. Jute furniture West Bengal Handicrafts Dev.Corpn. Jute Mfg. Development Corporation Orissa State Handicrafts Dev.Corpn.
			357. Jute bags, file cover -do-
			358. Woolen and silk carpets U.P. Export Corporation JandK Sale and Export Corporation